न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :—सुदर्शन सिंह तौमर, आर.ए.एस. कार्यवाहक कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :— 01 / 2022 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2022 / 16)

राजस्थान सरकार जरिये समीक्षा दिनकर, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर ———————— प्रार्थी।

बनाम

श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री सूरजभान सिंह उम्र 40 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी संतर रोड धौलपुर ——————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : —

1 — प्रार्थी की ओर से :— श्री गजेन्द्र सिंह जिला रसद अधिकारी धौलपुर
2 — अप्रार्थी की ओर से :— श्री दीनदयाल शर्मा एडवोकेट

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

निर्णय

दिनांक 21.06..2022

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 21.01.2022 को जिला रसद अधिकारी व हमराह गजेन्द्र बाबू शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक एवं समीक्षा दिनकर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा समाचार पत्र की खबर पर गुलाब बाग स्थित जोधपुर मिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक कार्यो में उपयोग होने पर जांच करने पहुचें । मौके पर जोधपुर मिष्ठान भण्डार के बाहर तीन घरेलू गैस सिलेण्डरों पर खाध सामग्री बनना पाया गया। मौके पर दुकान में श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री सूरजभान सिंह उम्र 40 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी संतर रोड धौलपुर उपस्थित मिले जिन्होने स्वंय को दुकान का मालिक होना बताया। श्री सुमेरसिंह उक्त तीन घरेलू गैस सिलेण्डरों के इस्तेमाल बावत तथा उनके दस्तावेजों संबधी पूछताछ की गई जिस बावत उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया और पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी इस बावत कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। मौके पर दुकान परिसर में जांच की गई जिसमें अन्य गैस सिलेण्डर नहीं होना पाया गया। मौके पर दुकान में उपर जाने पर (प्रथम तल) कुल 4 घरेलू गैस सिलेण्डर होना पाये गये। इसीप्रकार बेसमेंट में जाने पर कुल 3 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। इस प्रकार उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान भण्डार परिषर में कुल 10 घरेलू गैस सिलेण्डर होना पाये गये। मौके पर श्री सुमेर सिंह द्वारा उक्त सभी 10 घरेलू गैस सिलेण्डर(एच.पी.कम्पनी)

के बावत दस्तावेज मांगे जाने पर उनके द्वारा मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधों का उल्लघंन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया जाकर धौलपुर शहर स्थित मैसर्स शिवेन गैस ऐजेन्सी धौलपुर के प्रतिनिधि श्री कासिम खांन पुत्र श्री यूसुफ खान उम्र 23 वर्ष जाति मुसलमान निवासी कोटला पुराना शहर धौलपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। विवरण फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दनामा में अंकित है जो संलग्न है। अतः निवेदन है कि 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 219.816 किलोग्राम को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि एल.पी.जी. ज्वलनशील,विस्फोटक व जनहित की वस्तु है। अतः धारा 6ए(2)आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अंतरिम निस्तारण के आदेश भी प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका दिनांक 21.01.22, फर्द अभिग्रहण दिनांक 21.01.22, फर्द सुपुर्दगीनामा दिनांक 21.01.22 एवं नजरी नक्शा की प्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के समबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री दीनदयाल शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि जोधपुर मिष्ठान भण्डार के नाम से व्यवसायिक कार्यो के उपयोग हेतु 19 किलोग्राम गैस का कनेक्शन उपभोक्ता कमांक 900078 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम (एच.पी.) गैस कम्पनी का है और उन्ही पर मिष्ठान भण्डार की खाद्य सामग्री बनायी जा रही थीं। घरेलू गैस सिलेण्डरों पर मिष्ठान भण्डार की कोई भी खाध सामग्री नहीं बनायी जा रही थी। आरोप मनमाने, झूंठे व असत्य लगाये गये है। वास्तविकता यह है कि उत्तरदाता/अप्रार्थी का उक्त परिसर का ग्राउण्ड फ्लोर व्यवसायिक है तथा अन्य प्रथम तल, द्वितीय तल आवासीय है जिनमें उत्तरदाता के कर्मचारी लगभग 25 से 30 लोगों का (स्टाफ) दिन रात परिसर में रहते है। उनके स्वंय के खाने पीने के लिये उनके पास घरेलू उपयोग हेतु गैस कनैक्शन एच.पी. कम्पनी के है और उन्ही घरेलू गैस कनैक्सनों के सिलेण्डरों पर स्टाफ के लोग अपना खाना बना रहे थे। उनका खाना भी बाहर ही बनता है। उत्तरदाता से व उनके स्टाफ से कोई पूछताछ नहीं की गई न कोई दस्तावेज मांगे गये वरना उत्तरदाता उसी समय वैद्य दस्तावेज दिखला देता उत्तरदाता के स्टाफ के पास एच.पी.गैर कम्पनी के घरेलू उपयोग हेतु गैस कनैक्शन है जिनका विवरण इस प्रकार से है:-

1-बलराम पुत्र चोवसिंह धौलपुर डीवीसी उपभोक्ता संख्या 8487
2-विष्णु कुमार शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा धौलपुर उपभोक्ता संख्या 29643
3-रामेश्वर पुत्र रतनसिंह धौलपुर उपभोक्ता संख्या 53912
4-श्रीमती जरीना पत्नी राजू खान धौलपुर उपभोक्ता संख्या 23253
5-श्रीमती प्रीति कुमारी पत्नी अरूण दिवाकर धौलपुर उपभोक्ता संख्या 46544 डीवीसी
6-रोशनलाल पुत्र मंगलियाराम धौलपुर उपभोक्ता संख्या 13640
7-अशोक कुमार पुत्र पूरनसिंह धौलपुर उपभोक्ता संख्या 30499
8-राकेश कुमार पुत्र अशोक कुमार उपभोक्ता संख्या 9769डीवीसी

उक्त सभी के पास बुक की फोटो प्रति जबाव के साथ संलग्न है। उत्तरदाता के कर्मचारी अपना अपना खाना बनाने व पकाने के लिये परेशान है। उक्त प्रकरण मनमाना झूंठा प्रकरण बनाया गया है जो काबिल खारिजी के है। अतः प्रार्थना है कि उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत जबाव स्वीकार किया जाकर उक्त आधारहीन अवैध कार्यवाही ड्रॉप की जावे तथा जब्त शुदा 10 घरेलू उपयोग उपभोग हेतु सिलेण्डरों को मय गैस के उत्तरदाता को अथवा उसके स्टाफ को वापिस लौटाये जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अप्रार्थी ने अपनी वहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जोधपुर मिष्ठान भण्डार के नाम से व्यवसायिक कार्यों के उपयोग हेतु 19 किलोग्राम गैस का कनेक्शन उपभोक्ता कमांक 900078 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम (एच.पी.) गैस कम्पनी का है जिस पर तीन सिलेण्डर जारी है और उन्ही पर मिष्ठान भण्डार की खाद्य सामग्री बनायी जा रही थीं। घरेलू गैस सिलेण्डरों पर मिष्ठान भण्डार की कोई भी खाध सामग्री नहीं बनायी जा रही थी। अप्रार्थी का उक्त परिसर का ग्राउण्ड फ्लोर व्यवसायिक है तथा अन्य प्रथम तल, द्वितीय तल आवासीय है जिनमें अप्रार्थी के कर्मचारी लगभग 25 से 30 लोगों का (स्टाफ) दिन रात परिसर में रहते है। उनके स्वंय के खाने पीने के लिये उनके पास घरेलू उपयोग हेतु गैस कनैक्शन एच.पी. कम्पनी के है और उन्ही घरेलू गैस कनैक्सनों के सिलेण्डरों पर स्टाफ के लोग अपना खाना बना रहे थे। उनका खाना भी बाहर ही बनता है। उत्तरदाता से व उनके स्टाफ से कोई पूछताछ नहीं की गई न कोई दस्तावेज मांगे गये वरना उत्तरदाता उसी समय वैद्य दस्तावेज दिखला देता उत्तरदाता के स्टाफ के पास एच.पी.गैर कम्पनी के घरेलू उपयोग हेतु गैस कनैक्शन है। उक्त सभी के पास बुक की फोटो प्रति जबाव के साथ पेश की है। अप्रार्थी के कर्मचारी अपना अपना खाना बनाने व पकाने के लिये परेशान है। आधारहीन अवैध कार्यवाही ड्रॉप की जावे तथा जब्त शुदा 10 घरेलू उपयोग उपभोग हेतु सिलेण्डरों को मय गैस के अप्रार्थी को अथवा उसके स्टाफ को वापिस लौटाये जावें।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित श्री गजेन्द्र बाबू शर्मा, जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने दौराने वहस अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित कथनो को स्वीकार करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी पर जुर्माना किया जाकर जब्त शुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को अप्रार्थी को वापिस किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दिनांक 21.01.2022 को जिला रसद अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गुलाब बाग स्थित जोधपुर मिष्ठान भण्डार पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक कार्यो में उपयोग होने पर जांच करने पहुचें। मौके पर जोधपुर मिष्ठान भण्डार के बाहर तीन घरेलू गैस सिलेण्डरों पर खाद्य सामग्री बनना पाया गया। मौके पर दुकान में उपर जाने पर (प्रथम तल) पर 4 एवं बेसमेंट में 3 घरेलू गैस सिलेण्डर होना पाये गये। यहॉ पर अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी का उक्त परिसर का ग्राउण्ड फ्लोर व्यवसायिक है तथा अन्य प्रथम तल, द्वितीय तल आवासीय है जिनमें अप्रार्थी के कर्मचारी लगभग 25 से 30 लोगों का (स्टाफ) दिन रात परिसर में रहते है। उनके स्वंय के खाने पीने के लिये उनके पास घरेलू उपयोग हेतु गैस कनैक्शन एच.पी. कम्पनी के है और उन्ही घरेलू गैस कनैक्सनों के सिलेण्डरों पर स्टाफ के लोग अपना खाना बना रहे थे। उक्त सभी के पास बुक की फोटो प्रति जबाव के साथ पेश की है। प्रार्थी की ओर से उपस्थित

श्री गजेन्द्र बावू शर्मा, जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने दौराने वहस अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित कथनो को स्वीकार करते हुये अप्रार्थी पर जुर्माना किया जाकर जब्त शुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को अप्रार्थी को वापिस किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी पर 2000/-रू0 का जुर्माना किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 219.816 किलोग्राम को अप्रार्थी को वापिस किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री सूरजभान सिंह उम्र 40 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी संतर रोड धौलपुर पर 2000/-रू0 का जुर्माना किया जाता है। जुर्माना की राशि जिला रसद अधिकारी धौलपुर के कार्यालय में जमा करा देता है तो जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह प्रकरण में जब्त शुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डर (एच.पी.कम्पनी) मय एल.पी.जी. 219.816 किलोग्राम को अप्रार्थी को वापिस किया जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पालना रिपोर्ट सात दिवस में न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

(सुदर्शन सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर, धौलपुर